

महनतकशों का पैगाम

मज़दूर मोर्चा

Email : mazdoormorcha1987@gmail.com
www.mazdoormorcha.com

Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06 /R.N.I. No. 66400/97

सासाहिक

वर्ष 33

अंक -5

फ्रीडाबाद

16-22 दिसम्बर 2018



दुष्ट साफ-
साफ बताओ

3

राफेल में झूठ
किसने बोला

4

नहीं रुक रही
किसानों की
आत्महत्या

5

चौराहे पर
मोदी

6

डॉक्टर नहीं
रहा भगवान

8

फोन : - 9999595632

₹ 2.50

निगमायुक्त मोहम्मद शाइन के हाथ हैं काले!

ठेकेदार से कमीशन लेकर बंद खाते का चैक दिया, तबादले पर 30 फाइलें चुरा ले गये

फ्रीडाबाद (म.मो.) अपने ग्राहर माह के कार्यकाल में बतौर निगमायुक्त मोहम्मद शाइन ने खट्टर सरकार के भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा के दावे की कितनी धज्जियां उड़ाई, यह विस्तृत जांच का विषय है। फिलहाल उनके द्वारा किये गये दो आपराधिक घोटाले तो बिल्कुल नंगे होकर नाच रहे हैं।

इसी दिसम्बर में चार्ज छोड़ने से पहले उन्होंने एक ठेकेदार से कमीशन तो पूरा ठोककर बसूला और बदले में पेमेंट का जो चैक दिया वह बैंक ने लौटा दिया क्योंकि वह खाता काफी समय पहले बंद हो चुका था। अब ठेकेदार कभी नगर निगम के चक्र काट रहा है तो कभी गुडगांव में तैनात शाइन साहब के, कोई उसकी सुनने वाला नहीं।

मीडिया में बैठे चारण-भाट शाइन की



चोर के लिए मीडिया मचाये शोर

प्रशंसा के कसीदे गाते हुए बता रहे हैं कि वे इतने ईमानदार और सख्त प्रशासक थे कि स्थानीय राजनेताओं को रास नहीं आये। वे उनकी कोई परवाह नहीं करते थे, सब काम अपनी मनमर्जी से किया करते थे।

बात में कुछ सच्चाई हो भी सकती है क्योंकि नेता कौन से भले हैं, वे कौन से सही काम के लिए दबाव डालते हैं। परन्तु निगमायुक्त की सख्ती केवल लूट के माल में से अधिकतम बसूली तक ही सीमित थी। पुलिस में एफआईआर दर्ज कराने और बीते वर्षों का आडिट कराने का नाटक केवल लूट कमाई कर चुके अफसरों से बसूली करने तक ही सीमित था। अपने पूरे कार्यकाल में न तो वे किसी भ्रष्टाचारी को गिरफ्तार करा सके और न ही एक रुपये की रिकवरी किसी भ्रष्टाचारी से उगलवा सके।

जिन तीस फाईलों को वे अपने साथ ले गये बताते हैं और अब उनकी विजिलेंस जांच का हव्वा खड़ा कर रहे हैं, वह केवल भ्रष्टाचारियों की बांह मरोड़ कर बसूली करने तक का ही नाटक है। इस बाबत आइजी विजिलेंस गुडगांव सुभाष यादव से मिली जानकारी के अनुसार, उन्होंने अभी तक विजिलेंस को न तो कोई फाईल सौंपी है और न ही कोई पत्र लिखा है। जाहिर हैं जो-जो अधिकारी पैसे देता जायेगा अपनी-अपनी फाइल वापस लेता जायेगा। यह खुली ब्लैकमेलिंग नहीं तो और क्या है?

कायदे से उन दोनों मामलों में शाइन के विरुद्ध आपराधिक मुकदमा दर्ज होना चाहिये क्योंकि फर्जी खाते का चैक देकर उन्होंने ठेकेदार के साथ धोखाधड़ी की है,

परन्तु ठेकेदार ने तो यहीं ठेकेदारी करनी है उसकी क्या बिसात जो वह शिकायत भी कर सके। उसी तरह सरकारी फाईलों को अपने साथ ले जाना भी जुम है। इसके लिए उनके स्थान पर तैनात होने वाला अधिकारी मुकदमा दर्ज करा सकता है। परन्तु हमाम में सभी तो नंगे हैं, मुकदमा कौन दर्ज कराये?

मजे की बात तो यह है कि इन सब काले कारनामों के बावजूद ईमानदार मुख्यमंत्री खट्टर शाइन पर इतने मेरहबान हैं कि उन्हें पदोन्नत करके गुडगांव का मंडल आयुक्त बना दिया ताकि खुला खेल आगे भी खेल सकें। अंबाला में बतौर उपायुक्त वन विभाग का पेसा गबन करने में स्वयं की विजिलेंस जांच दबावने वाले शाइन अब दूसरों को विजिलेंस जांच की धमकी दे रहे हैं।

राजीव गांधी से बेहतर प्रधानमंत्री साबित होंगे राहुल



देश के लिए राहुल नरेंद्र मोदी से हर हाल में बेहतर रहेंगे, क्योंकि मोदी एकीकृत भारत का प्रतिनिधित्व कर ही नहीं सकते, जो राहुल सहज ही कर लेंगे।

एयर फोर्स दायरे में बसे घरों का संकट सरकारी हरामखोरी व रिश्वतखोरी की देन

फ्रीडाबाद (म.मो.) स्थानीय एयरफोर्स स्टेशन के 100 मीटर के दायरे में आज करीब 3000 घर आबाद हैं। इन्हें अवैध बता कर तोड़ने एवं हटाने का मामला गत कुछ वर्षों से चंडीगढ़ रिस्थित हाई कोर्ट में चिस्टर है और वहां बसे लोगों की सांस अटकी हुई है। पहले यह दायरा 900 मीटर का था जो अब घटा कर 100 मीटर कर दिया गया है। इससे 800 मीटर के दायरे में आने वाले बीसियों हजार मकान मालिकों ने तो राहत की सांस ले ली परन्तु शेष बचे लोगों को अब संख्या कम रह जाने से खतरा अधिक महसूस होने लगा है।

विदित है कि शहर के पश्चिमी छोर पर डबुआ क्षेत्र के आसपास बसी इस घनी आबादी में मकानों का आकार 50 वर्ग गज से लेकर 150 वर्ग गज तक का ही है। बहुत कम मकान ही 200-250 वर्ग गज के हैं। समझा जा सकता है कि ये मकान समाज के सबसे कमजोर एवं मेहनतकश लोगों ने खन पसीने की कमाई से बनाये हैं। इन्होंने ये प्लॉट कोई अवैध रूप से नहीं कब्जाये हैं। बाकायदा भू-स्वामियों को कीमत का भुगतान करके सरकार को रजिस्ट्री शुल्क व तहसीलदार को रिश्वत देकर रजिस्ट्रियां कराई हैं।

सवाल यह पैदा होता है कि जब सत्तारूढ़ दल के छुट्टेये नेता किसानों की जमीनों को बांध कर प्लॉटिंग करके जनता को बेच रहे थे और तहसीलदार बाकायदा रजिस्ट्री कर रहे थे तो उस वक्त सरकार कहां गयी थी? उस वक्त क्या शासन-प्रशासन की आंखे फूट रही थी? क्या उन्हें एयरफोर्स स्टेशन का 900 मीटर वाला दायरा नहीं दिखाई दे रहा था? गैरतलब बात यह भी है कि एयरफोर्स अधिकारियों ने उस वक्त बाकायदा शासन-प्रशासन को पत्र लिखकर सूचित भी किया था; परन्तु भ्रष्ट

राजनीतिक संरक्षण के चलते किसी के कान पर जुँ नहीं रेंगी।

दूसरा महत्वपूर्ण सवाल यह भी उठता है कि जब एयरफोर्स स्टेशन की उक्त परिधि-को सुरक्षा कर्त्ता से खाली ही रखना था तो राज्य अथवा केन्द्र सरकार ने उस परिधि-वाली जमीन का अधिग्रहण करके सार्वजनिक पार्क अथवा खेल के मैदान क्यों नहीं बनाये? तत्कालीन सरकारों ने क्यों अवैध कॉलोनाइजरों को पनपने दिया और क्यों नहीं मजदूरों के लिये, उनकी आवश्यकतानुसार आवासीय कॉलोनियों अथवा सेक्टरों का निर्माण किया?

अब यदि सरकार जनविरोधी नहीं है

तो क्यों नहीं इस स्टेशन को ही अगवली के उस संरक्षित वन्य क्षेत्र में स्थापित कर देती जहां सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद लगातार फार्म हाउस एवं रिसोर्ट बनाये जा रहे हैं? उस क्षेत्र में एयरफोर्स स्टेशन स्थापित करके वन्य क्षेत्र की सुरक्षा एवं उसमें अवैध किरणों को रोकने का काम भी एयर फोर्स को ही सौंप दिया जाय तो अरावली का भी बचाव हो सकेगा। लेकिन निकम्मी एवं जनविरोधी सरकार कदापि ऐसा करने वाली नहीं क्योंकि फिर अरावली में अवैध कब्जों एवं निर्माणों से होने वाली लूट कैसे हो पायेगी?

अब यदि सरकार जनविरोधी नहीं है

मेवला महाराजपुर में अस्पताल के नाम पर 11 करोड़ हड्डपने की तैयारी

फ्रीडाबाद (म.मो.) बल्लबगढ़ के सेक्टर 3, फ्रीडाबाद के सेक्टर 30 व 55 में बने खड़े अस्पताल भवनों में डॉक्टर तो क्या पैरामेडिकल स्टाफ तक पर्याप्त नहीं हैं। यही हालत न केवल जिले भर के तमाम स्वास्थ्य केन्द्रों बल्कि राज्य भर के स्वास्थ्य केन्द्रों की है। ये चाहे शहरी क्षेत्रों में स्थित हों अथवा ग्रामीण क्षेत्रों में, हालत यह है कि इनमें एक साधारण प्रसव तक नहीं कराया जा सकता। सभी को दूर-दराज से चल कर जिले के मुख्य बीके अस्पताल में आना पड़ता है। दुर्भाग्य की बात तो यह है कि यहां से भी दिल्ली के लिये रैफ़ेर कर दिया जाता है। इन हालात में साधान सम्पन्न लोग तो सरकारी के चक्कर में न पड़ कर सीधे प्राइवेट अस्पतालों में जाते हैं परन्तु ग्रामीण में डाल कर सरकारी केन्द्रों पर आते हैं।

सरकार की हारमखोरी व रिश्वतखोरी का आलम यह है कि मौजूदा अस्पतालों एवं केन्द्रों की स्थिति को सुदूर करने की बजाय नई-नई इमारतें खड़ी करने में लगी है। मानो डॉक्टरों व स्टाफ की बजाय इमारतें स्वतः ही मरीजों का उपचार कर देंगी। इसके पीछे पाखंडी सरकार की सोच यह है कि जब भी कोई इमारत बनी तो जनता में यह संदेश जायेगा कि सरकार उनके लिये कितना काम कर रही है, दूसरे इमारत की दर्शाई गयी लागत का एक बड़ा हिस्सा ठेकेदारों, अफसरों व नेताओं में बंट जाता ह